UPHR010014512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.5728)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–650/2026

अमन कुमार पुत्र विष्णुदयाल

निवासी दाउद्पुर उर्फ मुरादगांव, थाना सिधौली, जिला शाहजहांपुर।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–01.04.2026

1– यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 692/2025, धारा 318(4) बी०एन०एस० एवं 66 सी आई०टी०एक्ट, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

2– अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा अंकित कुमार के द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी ने दिनांक 15–11–2025 को थाना शाहाबाद मे एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मोबाइल नं. 81279XXXXX से प्रार्थी के नम्बर पर कॉल आयी और कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा मेरे पास कुछ सुविधा शुल्क भेजो। प्रार्थी ने तीन बार मे मु. 2000/– 1000/– 800/– रु0 अमन कुमार के U.P.IID कुमार अमन 26911@okhd पर भेजे। पुनः इसी नम्बर से प्रार्थी के पास लगातार काल आ रही है और रुपये डालने की बात कहता है। जब प्रार्थी सामने आने को कहता है वह सामने नहीं आता। इस प्रकार उक्त विपक्षी अमन नाम के व्यक्ति ने प्रार्थी से ठगी कर ली।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि वह निर्दोष है। उसको झूठा फंसाया गया है। वह मजूदर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी करके अपना तथा अपने माता–पिता का भरण पोषण करता है। वह पंजाबी ढ़ाबा शाहजहांपुर में वेटर का कार्य करता है। किसी व्यक्ति के पास उसका क्यू०आर० था, जिसे वादी मुकदमा को भेजकर उसको झूठा फंसाया गया है, जो रूपये शपथी के खाते पर आये थे, वह रूपया शपथी ने थाना पर हुए सुलह–समझौता में वादी मुकदमा को नगद वापस कर दिया था। उक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया गया है न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.04.01 16:52:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विरोध करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी का परिशीलन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध 318(4) बी०एन०एस० एवं 66 सी आई०टी०एक्ट, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदकगण/अभियुक्तगण पर नोटिस अं० धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० तामील करने के उपरान्त आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नही किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अमन कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन के गवाहान आदि को किसी प्रकार से कोई धमकी अथवा लालच नहीं देगा। साथ ही किसी अन्य प्रकार से भी प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत की सीमा के बाहर नहीं जाएगा और ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे कि प्रश्नगत मामले पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़ता हो अथवा पड़ने की संभावना उत्पन्न होती हो।
3. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

दिनांक–01.04.2026